श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-16

Ref. No. F.1(9)/LBSNSU/Guest Teacher/2020/682   Date : 01/01/2021

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (शैक्षणिक सत्र 2020-21) के लिये अतिथि अध्यापक (Guest Lecturer) के रूप में निम्नलिखित पद के लिये आवेदन आमंत्रित करता है :-

क्र.सं.	पद का नाम	विषय	पदों का संख्या	अतिथि अध्यापक वेतन/पारिश्रमिक राशि
1	अतिथि अध्यापक	(अद्वैत वेदान्त)	01	1500/- रुपये प्रति व्याख्यान तथा अधिकतम 50000/- रुपये प्रति माह, जो भी कम हो, देय होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अन्तर्गत आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार है :-

1. किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/संगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात (स्नातकोत्तर) उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिसूचना 18 जुलाई,2018 अन्तर्गत नियम 3.4 (I) में उल्लिखित आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों एवं नियम 3.5 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक) की छूट प्रदान की जायेगी।

2. उक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ-साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D. उपाधि के लिये न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 अथवा 2016 और समय-समय पर इनमें बाद में किये गये संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार Ph.D. की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें NET/ SLET/SET से छूट प्रदान की जायेंगी :

   बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई,2009 से पूर्व एमफिल/पीएच.डी कार्यक्रम के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएच.डी. धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सहायक आचार्य/अतिथि अध्यापक/अनुबंध अध्यापक के पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिये NET/ SLET/SET से छूट प्रदान की जायेंगी :-

   1) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो,
   2) पीएचडी शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो,
   3) पीएचडी के लिये अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो,
   4. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक सन्दर्भित जर्नल में प्रकाशित हो,
   5) अभ्यर्थी ने वि.वि.अ. आयोग/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायकता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो

3. संस्कृत माध्यम से पढ़ाने की कुशलता अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

नोट : ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिये NET/ SLET/SET अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, CSIR द्वारा NET/ SLET/SET अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे NET/ SLET/SET आदि आयोजित नहीं की जाती।

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिक 3क) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित है।)

कृ.पृ.उ. ....

पूर्व पृष्ठ से -

शर्ते :— 1. उपर्युक्त पद से संबंधित सामान्य जानकारी एवं दिशानिर्देशों के साथ निर्धारित आवेदन—पत्र को विश्वविद्यालय के वैबसाइट **www.slbsrsv.ac.in** से **Download** किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आवेदन—पत्र में निर्धारित सभी कॉलम को पूरित एवं निर्देशित दिशानिर्देशों के अनुसार सान्दर्भित प्रपत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट : **आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा नकद/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रड पोस्ट अथवा अन्य किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं किया जायेगा।**

2. निर्धारित आवेदन—पत्र को विधिवत रूप से पूर्ण कर संलग्न प्रपत्रों सहित स्कैन की गई साफ्ट कॉपी को विश्वविद्यालयीय ई-मेल आईडी registrar@slbsrsv.ac.in पर दिनांक 15/01/2021 तक प्रेषित करना आवश्यक है। अंतिम तिथि (15/01/2021) के पश्चात् प्राप्त आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएँगे, जब तक कि वह विश्वविद्यालय के भर्ती नियमों के उपनियम—9(IV) अनुसार विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
3. अतिथि अध्यापक की नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये होगी, जो आवश्यकतानुसार/नियंत्रण अधिकारी के कार्यनिष्पादन समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाई जा सकती है।
4. चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
5. साक्षात्कार की तिथि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद विश्वविद्यालयीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
6. नियुक्ति हेतु चयन/साक्षात्कार समिति द्वारा ली गई निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
7. अतिथि अध्यापक को किसी प्रकार का भत्ता, पेंशन, ग्रेज्युटी, अवकाश इत्यादि देय नहीं होगा।
8. साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की भत्ता देय नहीं होगा।

सहायक कुलसचिव (चयन)